डाक पंजीयन सं. जयपुर सिटी/101/2020-22 वर्ष : 08 अंक : 36 मूल्यः 5 रुपए पृष्ठ : 08

शिखर दृष्टि जीवन की... साप्ताहिक समाचार पत्र

हिलव्यू समाचार

जयपुर » सोमवार, 14 मार्च, 2022

R.N.I. No. RAJHIN/2014/56746 hillviewsamachar@gmail.com

आयुक्त अवधेश मीणा नगर निगम जयपुर (हेरिटेज) जयपुर कॉलेज सहित सभी अवैध निर्माणों की कार्यवाही से लगातार झाड़ रहे पल्ला...क्यों?

शालिनी श्रीवास्तव

हिलव्यू समाचार द्वारा लगातार जयपुर कॉलेज (नाना जी की हवेली व अन्य) चौड़ा रास्ता अवैध निर्माण व 143 कॉम्पलेक्सों (जो कि प्राचीन हवेलियाँ थीं) के ध्वस्तीकरण हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना की सूचनाएँ प्रकाशित करने पर एवं हिलव्यू समाचार पत्र टीम के लगातार निगम कार्यालय में आयुक्त हेरिटेज से रूबरू होकर समस्त अवैध मामले आयुक्त के संज्ञान में लाने पर भी हेरिटेज नगर निगम आयुक्त अवधेश अवैध मीणा निर्माणों की सूचनाओं व कार्यवाही से पल्ला झाड़ रहे हैं। जयपुर कॉलेज नाना जी की हवेली चौड़ा रास्ता हो या हेरिटेज निगम की सीमा में होने वाले अवैध निर्माण व अवैध कब्ज़ों के मामले पर आयुक्त की ज़िम्मेदार पोस्ट पर बैठकर निगम आयुक्त का बचकाना ज़वाब देना आईएएस की गरिमामयी छवि को संदिग्ध बनाता है।

"मुझे जानकारी नहीं है!" "हम इस पर नोटिस देंगे!" "हम देखेंगे!"

इस तरह के ज़वाब क्या आईएएस लेवल के अधिकारी को शोभा देते हैं और तो और अभी तक किसी भी तरह की अवैध निर्माण की सूचना प्रकाशित होने के पश्चात भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी श्रृंखला में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों की धज्जियाँ उड़ाने में भी आयुक्त महोदय पीछे नहीं हट रहे।

143 अवैध निर्मित कॉम्प्लेक्स जो कि हेरिटेज की धरोहर के रूप में प्राचीन हवेलियाँ थीं जिन्हें पूर्णतया अवैध क़रार देते हुए उनके ध्वस्तीकरण के आदेश डीबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 15 318/ 2013 सुओमोटो बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के माध्यम से राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिए थे। किंतु अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। हिलव्यू समाचार में लगातार यह पूरा मामला व ध्वस्तीकरण कॉम्पलेक्सों की प्रथम सूची प्रकाशित की जा चुकी है इस बार द्वितीय सूची प्रकाशित की जा रही है। प्रथम सूची के साथ संपूर्ण सूचना आयुक्त महोदय के कर कमलों में सौंपी गयी लेकिन आयुक्त महोदय की उदासीनता और निष्क्रियता कहीं और ही इशारा करती है।

आख़िर नगर निगम हेरिटेज आयुक्त हो या कोई भी बड़ा अधिकारी इस मामले में हाथ क्यों नहीं डालना चाहते हैं?

जयपुर कॉलेज (नाना जी की हवेली) से सम्बन्धित सूचनाएँ माँगने पर फाइलों का नगर निगम में ना होना भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है।

आख़िर जयपुर कॉलेज (नाना जी की हवेली) या राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 143 कॉम्पलेक्सों आदेशों के मूल दस्तावेज़ कहाँ हैं और उन पर की गई अब तक की कार्यवाही के मूल दस्तावेज़ कहाँ हैं?

2019

2022

हेरिटेज जयपुर द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के ध्वस्तीकरण आदेश की अवमानना लगातार जारी...

मनिराम जी की कोठी

मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। मैं चेक करवाता हूँ।
-अवधेश मीणा, आयुक्त नगर निगम हेरिटेज, जयपुर

मनीराम जी की कोठी सहित 143 आवासीय भवनों में व्यवसायिक कॉम्प्लेक्सों अवैध निर्माण के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने ध्वस्तीकरण का आदेश 18 सितंबर 2019 को पारित किया। जिसमें तीन सूचियों में इन 143 अवैध भवनों के नाम पते सहित नगर निगम हेरिटज जयपुर को ध्वस्त करने हेतु पाबंद भी किया गया किंतु पिछले 2 साल 6 माह से उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश की अवमानना नगर निगम हेरिटज जयपुर लगातार कर रहा है। डीबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 15 318/ 2013 सुओमोटो बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। इसके माध्यम से द्वितीय सूची जिसका द्वितीय चरण में ध्वस्तीकरण किया जाना था वो है-म.नं. 2657, 1480, 2811 घी वालों का रास्ता, घाट गेट, म.नं. 1048 पदमपुरा हाऊस के सामने गंगापोल रोड, म.नं. 2173 चाकसू का चौक, म.नं. 5269 रैगरों की कोठी घाटगेट, म.नं. 53 गोवर्धन पुरी स्कीम पार्क के पास, म.नं. 2657 नागोरिया जी का चौक, दु.नं. 244 मनीराम जी की कोठी घाटगेट, दु. नं. 71-73, 104-106 मिश्रा मार्केट घाटगेट, म.नं. 350, कालेहनुमान जी मंदिर के पास चांदी की टकसाल, म.नं. 581 ऊँचा कुआ हल्दियों का रास्ता, ये समस्त कॉम्पलेक्स नगर निगम हेरिटेज द्वारा तोड़े जाने थे किन्तु तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

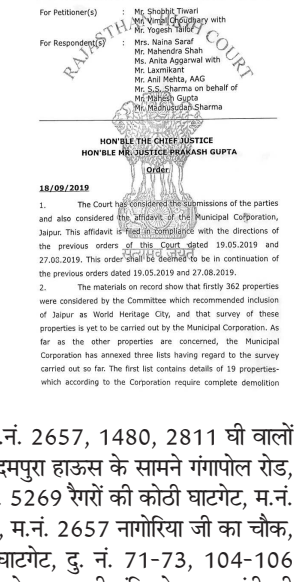

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

D.B. Civil Writ Petition No. 15318/2013

Suo Moto ----Petitioner

Versus

State Of Raj ----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Shobhit Tiwari, Mr. Vimal Choudhary with Mr. Yogesh Tailor

For Respondent(s) : Mrs. Naina Saraf, Mr. Mahendra Shah, Ms. Anita Aggarwal with Mr. Laxmikant, Mr. Anil Mehta, AAG, Mr. S.S. Sharma on behalf of Mr. Mahesh Gupta, Mr. Madhusudan Sharma

HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH GUPTA

Order

18/09/2019

1. The Court has considered the submissions of the parties and also considered the affidavit of the Municipal Corporation, Jaipur. This affidavit is filed in compliance with the directions of the previous orders of this Court dated 19.05.2019 and 27.08.2019. This order shall be deemed to be in continuation of the previous orders dated 19.05.2019 and 27.08.2019.

2. The materials on record show that firstly 362 properties were considered by the Committee which recommended inclusion of Jaipur as World Heritage City, and that survey of these properties is yet to be carried out by the Municipal Corporation. As far as the other properties are concerned, the Municipal Corporation has annexed three lists having regard to the survey carried out so far. The first list contains details of 19 properties-which according to the Corporation require complete demolition

अवैध भवन – द्वितीय चरण जो आंशिक रूप से अवैध है।

क्र.सं	नाम व पता	कार्यवाही करने की समय सीमा
1	उषा जैन पत्नि विमलेश कुमार जैन, 2657 घीवालों का रास्ता नागोरियों का चौक घाटगेट	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
2	नुरईलाही पुत्र गुलाम मुस्तफा म.नं. 1048 पदमपुरा हाउस के सामने गंगापोल रोड जयपुर।	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
3	पवन टोलिया पुत्र अनुपचंद टोलिया, श्रीमति रेखा पत्नि पवन टोलिया म.नं. 2173 चाकसू का चौक जयपुर।	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
4	अ. जब्बार पुत्र अ. वहाब म.नं. 1480 घीवालों का रास्ता घाटगेट	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
5	रेशमा पत्नि अजीज अली, श्रीमति हीना कौसर पत्नि रशीद अली म.नं. 5269 चांदी के ताजिये के आगे गली में रैगरों की कोठी घाटगेट।	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
6	गोपाललाल पुत्र हनुमान सहाय 53, गोवर्धनपुरी स्कीम पार्क के पास चौ. सर्की [illegible] जयपुर	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
7	उषा जैन पुत्र विमलेश कुमार जैन म.नं. 2657 रास्ता नागोरिया का चौक जयपुर।	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
8	पुरूषोत्तम अग्रवाल पुत्र भागीरथ प्रसाद अग्रवाल दु.नं. 244 मनीरामजी की कोठी घाटगेट	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
9	नसीम बानो पत्नि इरसाद अहमद, इमरान अहमद, अमीर अहमद दु. नं. 71 से 73, 104 से 106 मिश्रा मार्केट घाटगेट जयपुर।	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
10	रामचंद्र तेजवानी, ओमप्रकाश तेजवानी पुत्र प्रभुदयाल तेजवानी म.नं. 350 रायजी का घेर काले हनुमानजी मंदिर के सामने चांदी की टकसाल जयपुर।	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
11	आयुष मेहता पुत्र ज्ञानचंद मेहता घीवालों का रास्ता म.नं. 2811 घाटगेट।	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
12	राजेश जैन पुत्र निहालचंद जैन म.नं. 581 ऊंचा कुंआ हल्दियों का रास्ता जयपुर।	प्रथम चरण पश्चात तीन माह

उपायुक्त
हवामहल जोन पूर्व
नगर निगम जयपुर

ख़बर-बेख़बर

नगर निगम हेरिटेज में गृहयुद्ध चरम पर

किशनपोल महिला उपायुक्त हंसा मीणा लड़ रहीं हक़ की लड़ाई

महिला सशक्तिकरण के इस माह में जब पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व महिला सशक्तिकरण के लिए 8 मार्च को सेलिब्रेट कर रहा है। महिलाओं को सम्मानित कर रहा है। ऐसी स्थिति में नगर निगम हेरिटेज में गृह युद्ध के दौरान एक महिला उपायुक्त लगातार प्रताड़ित हो रही है।

ग्रेटर नगर निगम में जिस तरह अफसरों और नेताओं के बीच में विवाद उठते रहे हैं। उसी तरह अब हेरिटेज में भी अफ़सरों के बीच पोस्टिंग को लेकर गृह युद्ध छिड़ गया है।

मामला रेट तक भी पहुंचा और रेट का फैसला आने के बाद यह युद्ध शीत युद्ध में बदल गया क्योंकि किशनपोल जोन उपायुक्त हंसा मीणा रेट से स्टे ले कर पुनः अपने उपायुक्त पद पर किशनपोल जोन में आप बैठीं।

इस मामले पर खोजबीन करने के दौरान संपूर्ण दस्तावेजों के साथ हिलव्यू समाचार की टीम ने पाया कि मीणा जो कि किशनपोल जॉन की उपायुक्त है और इस पद पर रहने योग्य हैं किंतु निगम कमिश्नर ने उपायुक्त को कच्ची बस्ती (आरओ) में ट्रांसफ़र कर दिया और इसके ख़िलाफ़ रेट से स्टे ले कर पुनः हंसा मीणा अपने किशनपोल जोन में आकर विराजमान हो गई हैं यह गृह युद्ध अब शीत युद्ध के रूप लगातार जारी है। नगर निगम हेरिटेज का ये गृहयुद्ध आम जनता में क्या मैसेज दे रहा है यह विभाग को सोचने की आवश्यकता है।

इसी सम्बन्ध में अवधेश मीणा आयुक्त नगर निगम हेरिटेज एवं हंसा मीणा उपायुक्त किशनपोल जोन से से बातचीत की गई।

आयुक्त नगर निगम अवधेश मीणा से चर्चा

1. हंसा मीणा जी 2 बार प्रमोशन लेकर EO-2 लेवल पर आ गयी हैं ऐसे में उन्हें RO पद पर लगाना कैसे न्यायसंगत है?

किशनपोल जोन उपायुक्त का स्थानांतरण नियम के अनुसार ही है। किशनपोल जोन उपायुक्त का ट्रांसफ़र राजस्व कच्ची बस्ती किया गया है और उन्हें वहाँ ज्वाइन करना चाहिए। यह स्थानांतरण व्यक्तिगत तौर पर ना लेकर उपायुक्त (हंसा मीणा) किशनपोल जोन को प्रशासनिक कार्यवाही का पालन करना चाहिए एवं कच्ची बस्ती आरओ के पद पर जॉइनिंग दे देनी चाहिए।

2. अगर हेरिटेज में EO-2 लेवल पद नहीं है तो क्या पदासीन अधिकारी को उपायुक्त या इसके समकक्ष नहीं लगाया जाना चाहिए था ?

ऐसा कुछ नहीं है EO-2 लेवल पद नहीं है इसीलिए तो उनका स्थानान्तरण कच्ची बस्ती किया गया है।

3. अगर हंसा मीणा उपायुक्त किशनपोल जोन उपायुक्त पद के योग्य नहीं थी तो पूर्व में उन्हें यह पद क्यों दिया गया।

प्रशासनिक कार्यवाही को चैलेंज नहीं किया जा सकता।

अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

किशनपोल जोन उपायुक्त हंसा मीणा से चर्चा

1. आपको आरओ कच्ची बस्ती में स्थानांतरित किया गया किंतु आपने रेट से स्टे लिया है,क्यों ?

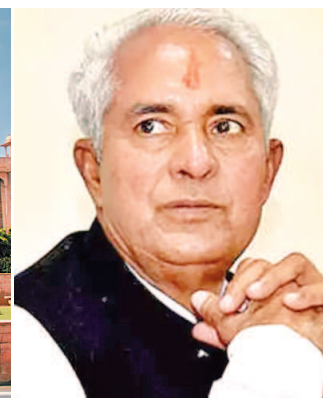

मैं इसी विभाग से हूँ और परमानेंट हूँ। मैं आरएमएस हूँ। राजस्थान मुंसिपल सर्विसेस से हूँ और मेरा लेवल - 15 है मेरे रेवेन्यू ऑफिसर होने के बाद दो प्रमोशन हुए हैं अब मेरा पद लेवल EO-2 है और इस आधार पर या तो मुझे डीसी लगाया जा सकता है या फिर इसके समकक्ष पोस्ट दी जा सकती है लेकिन रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट देना न्यायसंगत नहीं है और निरन्तर मेरा लेवल-13 रखना भी मेरे अधिकारों का हनन है । अतः मैंने रेट से स्टे लिया है और मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रही हूँ।

2. आप EO-2 लेवल की अधिकारी हैं ऐसे में उपायुक्त पद पर बने रहने की चुनौती कैसे दे सकती हैं?

क्योंकि निगम में EO-2 पोस्ट नहीं है ऐसे में उपायुक्त पद मुझे दिया गया था और अब मुझे आरओ लेवल पर पुनः स्थानांतरित किया जा रहा है जो कि सरासर ग़लत है।

वर्तमान में उपायुक्त गैराज एवं उपायुक्त विद्युत के पद पर तकनीकी सेवा के अधिशाषी अभियंता लगे हुए हैं उनका बेस क्या हैं? APO हेरिटेज में उपायुक्त पद लगे हैं उनका बेस क्या है? व्यक्तिगत कारणों के कारण मुझे परेशान किया जा रहा है लेकिन मैं अपनी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं प्रशासनिक मर्यादा व क़ानूनी हक़ के साथ लडूँगी। संजय देवल की एसबी/सिविल राइट पिटीशन न. 12819/2016 में भी यह हाईकोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया है कि EO-2 लेवल को राजस्व अधिकारी पद पर नहीं लगाया जा सकता।

3. उपायुक्त स्टोर पर आपने जॉइनिंग क्यों नहीं दी ?

क्योंकि जिस दौरान मुझे उपायुक्त स्टोर किशनपोल लगाया गया है उस पर सुरेश कुमार चौहान 10.10.2021 से पदास्थापित हैं और अब तक आसीत है उनका स्थानांतरण नहीं किया गया है। इस प्रकार बिना मस्तिष्क प्रयोग में लिए आयुक्त हेरिटेज फैसले ले रहे हैं जो व्यक्तिगत अहम को प्रदर्शित करते हैं।

दोहरा मापदण्ड क्यों?

पूरी छानबीन व दस्तावेज़ों को आधार मानते हुए दोनों अधिकारियों से बातचीत की गई। निगम में इससे पूर्व का इतिहास रहा है कि आरओ एवं आरआई पद के अफ़सर भी उपायुक्त पद पर आसीन होते रहे हैं। ऐसे में साथ ही साथ अधिशाषी अभियंता वर्तमान में उपायुक्त पद पर आसीन हैं। फिर किशनपोल जोन उपायुक्त को ईओ-2 लेवल के प्रमोशन मिलने के बाद भी उपायुक्त पद से पुनः आरओ लेवल पर भेजना क्या व्यक्तिगत अहम नहीं दर्शाता है? जहां एक ओर स्वायत्त शासन मंत्री विधानसभा में महिलाओं के विरूद्ध अनुचित अनर्गल बयान देते हैं और फूहड़ता से हँसते हैं वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक स्तर पर भी उच्च स्तर के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत कारणों से एक महिला अधिकारी को अनर्गल रूप से प्रताड़ित करना इस समाज को किस स्तर तक ले जाता है? जहां एक ओर महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है वहीं दूसरी ओर यह दोहरा मापदण्ड क्यों?

बुधवार नीलामी उत्सव में बिकीं 779 सम्पत्तियाँ, मिला 17 करोड़ 19 लाख रूपये का राजस्व

जयपुर, हिलव्यू समाचार। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान आवासन मण्डल की रियल स्टेट मार्केट में चमक बरकरार है। गत एक माह में मण्डल की 805 सम्पत्तियां बिकीं, जिससे मण्डल को 80 करोड़ 15 लाख रूपये का राजस्व मिला। उल्लेखनीय है कि मण्डल की 26 प्रीमियम सम्पत्तियां ई-ऑक्शन के माध्यम से बिकीं, जिससे मण्डल को 62 करोड़ 96 लाख रूपये का राजस्व मिला। बुधवार नीलामी उत्सव ई-बिड सबमिशन योजना में गत एक माह में 779 सम्पत्तियां बिकीं जिससे मण्डल को 17 करोड़ 19 लाख रूपये का राजस्व मिला।

आयुक्त ने बताया कि मण्डल की मण्डल के इंदिरा गांधी नगर और प्रताप नगर योजना में स्थित 3 बड़े व्यावसायिक भूखंड 37 करो़ रूपये में बिके, जिनमें प्रताप नगर में 2 भूखण्ड

जो कि पेट्रोल पम्प के लिये आरक्षित थे और जिनका न्यूनतम बोली मूल्य 42 हजार रूपये और 44 हजार रूपये था। रिलायंस और इण्डियन ऑयल जैसी कम्पनियों ने बोली में भाग लेकर इन भूखण्डों को लगभग चार गुना कीमत में खरीदा।

अरोड़ा ने बताया कि बुधवार नीलामी उत्सव ई-बिड सबमिशन योजना एवं प्रीमियम सम्पत्तियों के विक्रय से गत एक माह में 805 सम्पत्तियां बिकीं, जिससे मंडल को 80 करोड़ 15 लाख रूपये का राजस्व मिला। उन्होंने बताया कि जयपुर वृत्त प्रथम, द्वितीय और तृतीय में 196 सम्पत्तियां बिकी, जिससे मण्डल को 21 करोड़ 77 लाख रूपये का राजस्व मिला, जोधपुर वृत्त प्रथम और द्वितीय में 110 सम्पत्तियां बिकी, जिससे मण्डल को 14 करोड़ 24 लाख रूपये का राजस्व मिला, कोटा वृत्त में 28 सम्पत्तियां बिकी, जिससे मण्डल को 4 करोड़ 47 लाख रूपये का राजस्व मिला, बीकानेर वृत्त में 331 सम्पत्तियां बिकी, जिससे मण्डल को 21 करोड 38 लाख रूपये का राजस्व मिला, उदयपुर वृत्त में 120 सम्पत्तियां बिकी, जिससे मण्डल को 14 करोड 33 लाख रूपये का राजस्व मिला और अलवर वृत्त में 20 सम्पत्तियां बिकी, जिससे मण्डल को 3 करोड़ 97 लाख रूपये का राजस्व मिला।

डॉक्टर-नर्सों की सिफारिश ना करें विधायक, डेपुटेशन खत्म करके रहूँगाः स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा

1700 सेंटर्स पर ताले, 200 पीएचसी पर डॉक्टर ही नहीं, परसादीलाल मीणा स्वास्थ्य की अनुदान मांगों पर बहस का जवाब दे रहे थे

कार्यालय संवाददाता

जयपुर। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने अपने ही विभाग के पूर्व मंत्री पर सवाल उठाए। मीणा ने विधानसभा में विधायकों के आगे हाथ जोड़े। कहा राजनीतिक अप्रोच से डॉक्टर्स, नर्सिंगकर्मियों के शहरों में ही जमे रहते हैं, ऐसे में दूर-दराज के अस्पतालों में डॉक्टर होते ही नहीं हैं। उनकी सिफारिश न करें। उन्होंने कहा, हालात दयनीय हैं। डॉक्टर, नर्स होते हुए भी कई अस्पताल खाली पड़े हैं, अप्रोच से एक ही जगह जमे बैठे हैं। हम खाली पड़े अस्पतालों में डॉक्टर्स एनएम को भेजकर ही रहेंगे। हम तो फकीर हैं भाई, हम मीणाओं का क्या है, किसी की परवाह नहीं है। हम चाहते हैं डॉक्टर की जहां ड्यूटी है, वहां काम करें।'

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, मैंने पहले दिन ही आकर तय कर लिया था, मैं इस पर रहूं या न रहूं, लेकिन इस डेपुटेशन के सिस्टम को बंद करूंगा। मीणा स्वास्थ्य की अनुदान मांगों पर देर रात विधानसभा में बहस का जवाब दे रहे थे। मीणा ने कहा बहुत दयनीय हालत है। विधायकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप इन चीजों में दबाव मत डालना। आपके अस्पताल में 6 डॉक्टर की पोस्ट है तो सातवां मत मांगना, सातवां तो वहीं जाएगा जहां पोस्ट है। वेतन कहीं से ले रहे हैं, काम कहीं पर कर रहे हैं, यह कहां का तरीका है? बिना पोस्ट अप्रोच से लगे डॉक्टर्स का हमने वेतन भी रोक दिया है।

किसी अफसर ने डेपुटेशन किया तो चार्जशीटः मीणा ने कहा मेरे पास एक दिन विराटनगर के विधायक आए और कहा कि मेरे 5 डॉक्टर विराटनगर से सीएमएचओ फर्स्ट ने लगा रखे हैं। हमने जानकारी ली तो 5 नहीं 70 डॉक्टर बैठे थे, हमने तुरंत उन्हें वहां से रिलीव करवाया। हमें पता ही नहीं है और अफसरों ने अपने स्तर पर डेपुटेशन कर रखे हैं। कोई सीएमएचओ, ब्लॉक सीएमएचओ, संभागीय अधिकारी बिना सरकार की जानकारी के किसी डॉक्टर, जीएनएम, एएनएम का डेपुटेशन अपनी मर्जी से करेगा तो 16 सीसी की चार्जशीट दी जाएगी।